

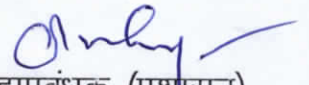
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं विभिन्न पीआईयू में महाप्रबंधक-20 पद, सहायक प्रबंधक-25 पद एवं लेखाधिकारी के 20 पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर, चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न संवर्गों हेतु विज्ञापित पदों को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु पूर्णतः भरे हुये आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक 20/11/2017 है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति (अ) एवं (ब) अनुसार उक्त पदों हेतु वेतन, न्यूनतम अर्हताएं, आयु सीमा, पदस्थापना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि अन्य जानकारी, विभागीय वेबसाइट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है।

क्र.23094दिनांक30/10/2017 एवं क्र.23095दिनांक30/10/2017


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

23094

क्र. / 22 / वि-12 / 2017 / A-5-207

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30.10.2017

विज्ञप्ति (अ)

प्राधिकरण मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर पदस्थापना हेतु, अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र	पदनाम	वेतनमान/एकजाई संविदा मानदेय	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महाप्रबंधक (सिविल)	वेतन बैंड में वेतन रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 7600	प्रतिनियुक्ति		राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के मूल पद पर कार्यरत डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, अथवा ऐसे सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो। अथवा ऐसे सहायक यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जिन्हें मूल पद पर रहते हुये प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।	20	प्राधिकरण इकाई
		रु. 50000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष तक	महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, सड़क एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव आवश्यक है। रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे-मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात् ग्रेड पे रु. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।		

महाप्रबंधक के उपरोक्तानुसार रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित चयन प्रक्रिया के उपरांत प्रथमतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाना है, प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

चयन की शर्त :-

- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक, अर्थात् दिनांक 30.04.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, जिन्हें सड़क एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव

सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव होना आवश्यक है, सड़क एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे—मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात ग्रेड पे रु. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

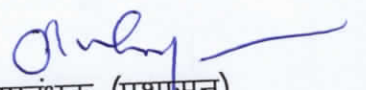
3. उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्क्वायरी के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।
4. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित महाप्रबंधक की संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
5. **संविदा की शर्त :-**
 - 5.1 संविदा सेवा में प्रतिमाह रु. 50000/- एकजाई संविदा मानदेय देय होगा।
 - 5.2 संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी —

i.	आकस्मिक अवकाश	—	13 दिवस
ii.	एच्छिक अवकाश	—	03 दिवस
iii.	चिकित्सा अवकाश	—	15 दिवस
 - 5.3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सुविधा की पात्रता नहीं होगी।
 - 5.4 संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
 - 5.5 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - 5.6 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। महाप्रबंधक के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
 - 5.7 प्राधिकरण द्वारा महाप्रबंधक पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर महाप्रबंधक पद

हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्त किए गए महाप्रबंधक की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

6. **प्रतिनियुक्ति की शर्त :-**

- 6.1 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।
- 6.2 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे।
7. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। महाप्रबंधक पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 27/11/2017 को लिया जायेगा एवं तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में सूचना वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।
8. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावे।
9. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
10. प्रत्येक पद (महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक) हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जावे। विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित हैं, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापित पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जायेगा तथा चयन सूची के 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
11. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति/से.नि. उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 20/11/2017 कार्यालयीन समय तक है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट mprda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेंगी।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र.23095/22/वि-12/A-5-207/2017

भोपाल, दिनांक 30.10.2017

विज्ञप्ति (ब)

इस प्राधिकरण मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थापना एवं सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु, अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु समकक्ष वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक प्रबंधक	वेतन बैंड में वेतन रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400	प्रतिनियुक्ति		राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम में कार्यरत सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्री, जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री (सिविल) जिन्हें 12 का फील्ड का अनुभव हो।	25	मुख्यालय / इकाईयों हेतु
		—	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम से सेवानिवृत्त सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें सहायक यंत्री के पद पर कम से कम 5 वर्ष अथवा डिग्रीधारी उपयंत्री के रूप में 8 वर्ष अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री के रूप में 12 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो अथवा ऐसे सेवानिवृत्त उपयंत्री जो प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पद पर कार्य कर चुके हैं अथवा मूल विभाग में प्रभारी सहायक यंत्री के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष फील्ड में कार्य कर चुके हैं।		
2	लेखा अधिकारी	वेतन बैंड में वेतन रु0 15600-39100 वेतनमान में ग्रेड पे रु0 5400/-	प्रतिनियुक्ति		महालेखाकार, केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन के वित्त विभाग के लेखा/वित्त से संबंधित समकक्ष स्तर के अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य विभाग में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो। अथवा केन्द्र सरकार/म.प्र. शासन के निगम/ मंडल/ बोर्ड के लेखा/वित्त से सम्बंधित समकक्ष स्तर के अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य लेखा संधारण, का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो।	20	प्राधिकरण की इकाईयों हेतु
		—	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	महालेखाकार, केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन के वित्त विभाग के लेखा/वित्त से संबंधित, समकक्ष स्तर से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य विभाग में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो। अथवा केन्द्र सरकार/म.प्र. शासन के निगम/ मंडल/ बोर्ड के लेखा/वित्त से सम्बंधित, समकक्ष स्तर से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य लेखा संधारण, का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो।		

सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी के उपरोक्तानुसार रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित चयन प्रक्रिया के उपरांत प्रथमतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाना है। प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

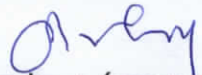
चयन की शर्त :-

- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक, अर्थात् दिनांक 30.04.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रियानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्क्वायरी के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।
3. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी की संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. **संविदा की शर्तें :-**
 - 4.1 सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी। जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जावेगी।
 - 4.2 संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी -
 - i. आकस्मिक अवकाश — 13 दिवस
 - ii. एच्छिक अवकाश — 03 दिवस
 - iii. चिकित्सा अवकाश — 15 दिवस
 - 4.3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सुविधा की पात्रता नहीं होगी।
 - 4.4 संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
 - 4.5 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - 4.6 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
 - 4.7 प्राधिकरण द्वारा सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्त किए गए सहायक प्रबंधक/लेखाधिकारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

5. प्रतिनियुक्ति की शर्तें :-

- 5.1 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।
- 5.2 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे।
6. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। सहायक प्रबंधक पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 28/11/2017 एवं लेखाधिकारी पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 05/12/2017 को लिया जायेगा एवं तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में सूचना वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।
7. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावे।
8. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
9. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित हैं, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापित पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जायेगा तथा चयन सूची के 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।
10. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति/से.नि. उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 20/11/2017 कार्यालयीन समय तक है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

**Advertisement No
23094 to 23095
dated 30-10-2017**

Application form

**Application form
No
(for office use only)**

Recent coloured
P.P. size photo
graph attested by
self

1. Name of the post (Applied for) :
2. Name of applicant :
(Name) (Surname)
3. Father's name :
(Name) (Surname)
4. Parent Department :
(With full Address)
5. Permanent address :
.....PIN.....
6. Present address :
.....PIN.....
(Address proof : Enclosure 1)
7. Date of birth : .../.../... (In words)
(Attested true copy of mark sheet of Higher Secondary School Certificate Examination /equivalent examination exhibiting date of birth : Enclosure 2)
8. Age as on the date of Advertisement : Years Months Days
9. Category (Please tick) : **Unreserved/ OBC/ SC/ ST**
(Self attested true copy of caste certificate in case of OBC/SC/ST candidate : Enclosure3)
10. Home district :
11. Educational qualification details :
 - (1) Post Graduation : Degree Specialisation in
 - (2) Graduation : Degree Subject
 - (3) Others (Diploma etc.) : Description
12. Service and experience details :
 - (a) Parent Department :
 - (b) Details of organization :
 - (c) If working, then, present Post :

- (d) If retired, then, name of the post from which retired :.....
- (e) If working then address of the present office:
- (f) Designation at first posting :
- (g) If working, then present pay :
(As per present applicable pay rules)
(e.g. pay in the pay band and grade pay in revised pay structure)
- (h) If retired, then last pay details :
- (i) Present basic pay : Rs.
(e.g. pay in pay band + grade pay, in revised pay structure)
- (j) Post wise experience (as on date of publication of advertisement)

S. N.	Name of Post	from dateto date	field work experience Years Months ... Days.....	office work experience Years Months ... Days.....
1				
2				
3				
4				

(k) Total length of service (as on date of publication of advertisement)

: Years Months Days.

(L) Total length of Service in field (as a Assistant Engineer)

: Years Months Days.

(M) Total length of Service in field (as a Assistant Manager in MPRRDA)

: Years Months Days.

12. PAN (if available)

:

(Attested true copy: Enclosure . . .)

13. Cell phone no.

:

14. Email ID

:

(Signature of applicant)

Name of the applicant:

Declaration

I hereby declare that no criminal proceedings /Departmental enquiry of any nature is pending against me. I further declare that information supplied by me in, the application form and its supplementary parts and enclosures annexed to it; are true to the best of my knowledge & belief. My selection to the post may be cancelled and suitable action may be taken, if information furnished by me an Application form is found false or incorrect at any point of time in future.

Date :

(Signature)

Place :

Name of the applicant:

Encl –
